(32)

अपील - 5641/2018/रीवा/भू-रा

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

विलोपित, विलोपित, विलोपित

भगवादीन पटेल तनय श्री रामगोपाल पटेल निवासी ग्राम हर्दी, तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

———अपीलार्थी

बनाम

शासन म0प्र0

———प्रत्यर्थी

अधि० श्री आर० एस० चतुर्वेदी द्वारा पेश।
14.9.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

106/अपील/17-18 श्रीमान अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित ओदश दिनांक 24.07.2018 के विरूद्ध अपील अर्न्तगत धारा 44 (2) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959। २

मान्यवर

अपील के आधार निम्न है :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय जो आदेश पारित किया उसकी अपील में जो आधार उन आधारों को प्रथम एवं अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णीत नही किया विधिक व्यवस्था किसी भी बिन्दू को मान्य करने के लिए भले ही कारण न दर्शाया गया हो लेकिन अमान्य की दशा में समुचित कारण दर्शाया जाना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय को यह घ्यान देना चाहिए था कि जब अपीलांट का यह कंथन था कि उसने कोई अवैध उत्खन्न नही किया तो केवल खानिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जो अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ रीवा ने जो अपीलांट को उत्खन्न का आधार बनाकर शास्ति 3,89,280/-रू0 अधिरोपित करने का निष्कर्ष वह आदेश कायम रखने योग्य नहीं है तथा अधनीस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तगी योग्य है।

2- यहकि कथित प्रतिवेदन साक्ष्य नही जब तक प्रतिवेदन में वर्णित बिन्दू को प्रमाणित न किया जाय कि सम्बंधित भूमि का भूमिस्वामी कौन था।

(32)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक अपील–5641/2018/रीवा/भू–रा0 जिला– रीवा

भगवानदीन पटेल/ म0प्र0 शासन

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री आई0सी0 चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 106/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य